प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक: 405/1995

रामायण

बनाम

म.प्र. राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

विचारार्थ प्रस्तुत।

हस्ताक्षरित/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 17/01/2012 को सूचीबध्द करें ।

हस्ताक्षरित/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

दांडिक अपील क्रमांक: 405/1995

अपीलार्थी: रामायण, पिता गंगाराम, जाति- यादव (राउत), आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी खेकसाहीपारा, ग्राम श्रघा, थाना चकरभाठा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य), द्वारा थाना चकरभाठा, जिला बिलासपुर,म.प्र. (अब छत्तीसगढ़)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

अपीलार्थी की ओर से श्रीमती सविता तिवारी, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री जे.ए. लोहानी, पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 17.01.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा द्वारा उद्घोषित किया गया:

1. यह अपील द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 345/93 में पारित दिनांक 26 नवंबर, 1993 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया और आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

मृतिका- राजन बाई, अपीलार्थी की पत्नी थी। वह अपीलार्थी और उसकी माता के साथ रह रही थी। अभियोजन का मामला यह है कि अपीलार्थी अपनी बहन और बहनोई (जीजा) को आर्थिक सहायता प्रदान करता था, जिससे मृतिका नाखुश थी और इसी बात पर वह अपीलार्थी से झगड़ा करती थी। आरोप है कि इसी कारणवश, दिनांक 12.12.1992 को दोपहर लगभग 12:00

बजे, अपीलार्थी ने कुल्हाड़ी से मृतिका पर हमला किया और फरार हो गया। मृतिका ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। निम्नलिखित वे परिस्थितियाँ हैं जिनके आधार पर विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि का पात्र था।

1) जब साक्षी अपीलार्थी के घर पहुंचे, तो अपीलार्थी की माता ने उन्हें यह नहीं बताया कि मृतिका को चोटें किसने पहुँचाईं।
2) अपीलार्थी ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसके घर में मृतिका की हत्या कैसे हुई।
3) अपीलार्थी के पास मृतिका की हत्या करने का हेतुक था क्योंकि वह अपीलार्थी को उसकी बहन और जीजा को आर्थिक मदद देने से रोकती थी।
4) घटना के तुरंत बाद अपीलार्थी अपने घर से भाग गया था।
5) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी-16) के आधार पर जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी-17) के माध्यम से एक टांगिया (कुल्हाड़ी) जब्त की गई थी।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती सविता तिवारी ने मृतिका की मानव वध के तथ्य पर विवाद नहीं किया है। उन्होंने तर्क दिया कि उपरोक्त परिस्थितियाँ अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराने हेतु पर्याप्त नहीं थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जमील अख्तर लोहानी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र मामले के अभिलेखों का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

6. यह स्वीकृत रूप से है कि इस मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, वे परिस्थितियाँ जिनसे दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए और इस प्रकार स्थापित सभी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए। उनका उल्लेख केवल अभियुक्त के अपराध की ओर ही होना चाहिए। उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण संभव नहीं होना चाहिए और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के साथ संगत किसी भी युक्तियुक्त आधार के लिए कोई स्थान न बचे। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यही कहा है। इसलिए, हमें इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जिन परिस्थितियों पर अभियोजन अवलंब लेता है, वे अपीलार्थी पर आरोपित

अपराध को बिना किसी युक्तियुक्त संदेह के स्थापित करने के अलावा और कोई विकल्प न छोड़ें।

7. प्रथमतः, हम उपरोक्त हेतुक पर विचार करेंगे। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, हेतुक की अधिक सुसंगतता या महत्व होता है; हालाँकि, सिद्धांत यह है कि जब अभियुक्त के विरुद्ध अपराध के संबंध में सकारात्मक साक्ष्य स्पष्ट हो, तो हेतुक का अधिक महत्व नहीं रह जाता है। यदि हेतुक का पूर्ण अभाव भी मान लिया जाए, तो वह अभियुक्त को अपने-आप में दोषमुक्ति का अधिकार तब तक नहीं देता, जब तक कि अपराध का किया जाना ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध न हो जाए। वर्तमान मामले में, यद्यपि अभियोजन द्वारा उपरोक्त हेतुक प्रस्तुत किया गया है, किंतु इसके बारे में बिल्कुल भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी अपनी बहन और बहनोई को आर्थिक सहायता दिया करता था; और इसी कारण मृतिका उससे झगड़ा करती थी। इसके अतिरिक्त, हमारी राय में, पति-पत्नी के बीच ऐसी छोटी-मोटी घटनाएँ पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने का हेतुक शायद ही बन सकती हैं। हमारा यह मानना है कि अभियोजन इस मामले में हेतुक सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है, जो कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला होने के कारण अत्यंत महत्व रखता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मुख्य परिस्थिति, जिस पर सत्र न्यायाधीश ने अवलंब लिया है, वह यह थी कि अपीलार्थी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसके घर में उसकी पत्नी की मानव वध कैसे हुई। **नेसर अहमद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, (2001) 9 एससीसी 736** के मामले में, मृतिका की जलने की चोटो से मृत्यु अपीलार्थियों के घर में जलने के कारण लगी चोटों से हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने मामले पर विचार करते हुए यह माना कि ऐसे मामले में सबसे पहले यह विचार करना नितांत आवश्यक है कि क्या अभियोजन ने यह दिखाने के लिए कोई असंदिग्ध साक्ष्य पेश किया है कि निर्णायक समय पर अपीलार्थी उस घर में मौजूद थे जहाँ मृतिका की मृत्यु हुई थी। यदि यह पाया जाता है कि निर्णायक समय पर घर में अपीलार्थियों की उपस्थिति स्थापित नहीं हुई है, तो अन्य सभी परिस्थितियाँ परिस्थितिजन्य साक्ष्य की उस श्रृंखला को पूरा नहीं करेंगी जो अपीलार्थियों के दोष की परिकल्पना के साथ सुसंगत और उनकी निर्दोषता के साथ असंगत किसी अपरिहार्य निष्कर्ष तक ले जाए।

9. वर्तमान मामले में, घटना दोपहर लगभग 12:00 बजे हुई थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह माना है कि भुवनलाल (अ.सा.13) और मंगल (अ.सा.5) ने अपीलार्थी को उसके घर से भागते हुए देखा था। मंगल (अ.सा.5) ने गवाही दी है कि जब उसे सूचना मिली कि मृतिका की हत्या कर दी गई है, तो वह उसके घर गया और उसे मृत अवस्था में पाया। उसने उसके शरीर पर चोटें भी देखीं। अपीलार्थी घर पर मौजूद नहीं था। ग्रामीणों ने उसे बताया कि अपीलार्थी भाग गया है। अतः, मंगल (अ.सा.5) का उपरोक्त साक्ष्य "अनुश्रुत साक्ष्य" था और स्वीकार्य नहीं था। भुवनलाल (अ.सा.13) ने भी इसी तरह गवाही दी। उसने भी अपीलार्थी को उसके घर से भागते हुए नहीं देखा था। उसने गवाही दी कि जब वह मृतिका के घर गया, तो उसने पाया कि अपीलार्थी वहाँ नहीं था। संपूर्ण साक्ष्य की सूक्ष्म जाँच करने पर, हम पाते हैं कि पुनीराम (अ.सा.10), जो मृतिका के घर तुरंत पहुँचा था, ने स्पष्ट रूप से गवाही दी है कि अपीलार्थी-

रामायण अपने घर में मौजूद नहीं था। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें घटना रात के समय हुई हो। यह दिन के समय की घटना थी, इसलिए, जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि अपीलार्थी संबंधित समय पर घर में मौजूद था, केवल अपीलार्थी के घर में मृतिका का मृत अवस्था में पाया जाना, वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, उसके विरुद्ध दोषारोपण करने वाला नहीं होगा। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मंगल (अ.सा.5) और भुवनलाल (अ.सा.13) के साक्ष्य के आधार पर एक विपरीत निष्कर्ष दर्ज किया है कि यह स्थापित हो गया था कि अपीलार्थी घटना के समय घर में मौजूद था।

10. जब ग्रामीण अपीलार्थी के घर पहुँचे, तो अपीलार्थी की माता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मृतिका को उपरोक्त चोटें कैसे आईं। सत्र न्यायाधीश ने यह माना है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति ने चोटें पहुँचाई होतीं, तो माता ने ग्रामीणों को उसका नाम अवश्य बताया होता। हमारी यह राय है कि अपीलार्थी के विरुद्ध किसी सकारात्मक प्रमाण के अभाव में, केवल अपीलार्थी की माता के उपरोक्त आचरण के आधार पर यह सिद्ध नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी ने ही मृतिका को चोटें पहुँचाई होंगी। विद्वान सत्र न्यायाधीश का उक्त निष्कर्ष काल्पनिक प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, घर में 3 निवासी थे, इसलिए, जीवित दो व्यक्तियों में से किसी एक के विरुद्ध ऐसी पूर्वधारणा बनाना अनुचित था।

11. अपीलार्थी के कहने पर टांगिया (कुल्हाड़ी) की जब्ती भी उसके विरुद्ध दोषारोपण करने वाली नहीं होगी, क्योंकि अभियोजन यह सिद्ध करने के लिए कोई एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका कि उक्त टांगिया पर रक्त के धब्बे थे, मानव रक्त की बात तो दूर रही।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपरोक्त कारणों से, हम परिस्थितियों के उपरोक्त आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखने में असमर्थ हैं।

13. परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी को दिनाक 13.12.1992 को हिरासत में लिया गया था और दिनांक 25.09.2001 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था। वर्तमान में वह जमानत पर है, उसके जमानत बंध पत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभू को उन्मोचित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-
मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Yash Khare (Adv.)